

राजनीति और शासन में सोशल मीडिया की भूमिका

यह एडिटरियल 20/07/2022 को 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित "How Twitter became the New Medium for Diplomacy" लेख पर आधारित है।

संदर्भ

पाषाण युग से धातु युग की ओर आगे बढ़ा मानव इतिहास अब डिजिटल युग में है जहाँ सोशल मीडिया इसका सबसे आशाजनक उपसर्क है। यह वास्तविक दुनिया का दर्पण है।

- जनमत (Public Opinion) को 'लोकतंत्र की मुद्रा' कहा जाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैनिक सार्वजनिक चर्चा और जनमत निर्माण के प्राथमिक आधार बनते जा रहे हैं। यह ऐसा माध्यम है जहाँ लोग दैनिक जीवन के विषयों से लेकर राष्ट्रीय महत्त्व के मुद्दों तक बहस और संवाद करने में सक्षम हुए हैं।
- सोशल मीडिया अब मंत्रियों और परिवार से जुड़ने के अबोध माध्यम भर नहीं रह गए हैं। इसके बजाय ये राजनीतिक गतिविधियों के और एक नए राजनीतिक संवाद के निर्माण के माध्यम में रूपांतरित हो गए हैं।

सोशल मीडिया भारतीय राजनीति को कैसे लाभ पहुँचाता है?

- **जनता में जागरूकता का प्रसार:** ऐतिहासिक रूप से लोग कभी भी सरकारी नीतियों को लेकर इतने जागरूक नहीं थे, जितने अब हैं।
 - सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग के माध्यम से सरकारी पहुँच बढ़ रही है जहाँ विभिन्न सोशल मीडिया अभियानों के माध्यम लोगों में जागरूकता का प्रसार किया जा रहा है।
 - उदाहरण के लिये, कोविड महामारी के दौरान सतर्कता संबंधी जागरूकता के प्रसार में और चिकित्सा हेतु लोगों के मार्गदर्शन में सोशल मीडिया अत्यंत प्रभावी साबित हुआ।
- **अंतराल को दूर करना:** सोशल मीडिया लोगों और उनके प्रतिनिधियों को निकट लाने में सहायक रहा है।
 - संचार की बाधाएँ, जो लोगों को अपने नेताओं के साथ संवाद की अनुमति नहीं देती थी, सोशल मीडिया के कारण पर्याप्त कम हो गई हैं।
 - सोशल मीडिया पर राजनीतिज्ञ अपने समर्थकों तक पहुँच रहे हैं।
 - वे सोशल मीडिया पर अपनी संलग्नताओं और पोस्टों के माध्यम से जनता को एक लूप या पाश में बनाए रखना सुनिश्चित कर रहे हैं।
 - इसने आम नागरिकों की राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने की क्षमता में वृद्धि की है।
 - इसके अलावा, भारत और उसके मंत्र देशों के बीच राजनयिक संबंधों को प्रभावित करने के लिये सोशल मीडिया का सक्रिय रूप से उपयोग किया गया है।
- **बाधाओं को कम करना:** सोशल मीडिया मंच जनता-राजनेता संवाद का सस्ता और नम्र-बाधाकारी माध्यम प्रदान करते हैं जहाँ कई व्यक्तियों को राजनीतिक दौड़ में प्रवेश करने की अनुमति देकर राजनीतिक लोकतंत्र को संभावित रूप से गहन किया जा रहा है।
- **बेहतर विश्लेषणात्मक प्रणाली:** जनमत संग्रह के पारंपरिक तरीकों की तुलना में सोशल मीडिया कम मानवीय प्रयास के साथ समय और लागत प्रभावी डेटा संग्रह और विश्लेषण का अवसर देता है।
 - 'डेटा एनालिटिक्स' प्रत्येक चुनाव अभियान का मूल राजनीति बनने के लिये स्वयं को विकसित कर चुका है। यह चुनाव अभियान समितियों को मतदाताओं को बेहतर ढंग से समझने और अपनी नीतियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने में मदद करता है।

सोशल मीडिया के राजनीतिकरण के नकारात्मक प्रभाव

- **राजनीतिक ध्रुवीकरण:** सोशल मीडिया की सबसे आम आलोचनाओं में से एक यह है कि यह 'इको चैंबर' (Echo Chambers) का निर्माण करता है जहाँ लोग केवल उन दृष्टिकोणों को देखते हैं जिनसे वे सहमत हैं।
 - राजनीतिक अभियान कभी-कभी देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक और सामाजिक तनाव पैदा करते हैं।
 - सोशल मीडिया ने लोकलुभावन राजनीति (Populist Politics) की एक शैली को सक्षम किया है, जो अपने नकारात्मक पक्ष में 'हेट स्पीच' (Hate Speech) और अतिवादी संभाषण (Extreme Speech) को (वर्षों से कक्षेत्रीय भाषाओं में) डिजिटल स्पेस में पनपने की

अनुमत देता है जिस पर प्रायः कोई नयित्करण नहीं है।

- **‘प्रोपेगैंडा’ का प्रसार:** ‘गूगल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट’ के अनुसार, विभिन्न राजनीतिक दलों ने मुख्यतः पछिले दो वर्षों में चुनावी वजिजापनों पर लगभग 800 मिलियन डॉलर (5,900 करोड़ रुपए) खर्च किये हैं।
 - सूक्ष्म-लक्ष्यीकरण (Micro-targeting) प्रवंचक अभियानों को बना अधिक परिणाम भोगे वैमनस्यपूर्ण वमिर्श के प्रसार में सक्षम बना सकता है।
- **असमान भागीदारी:** सोशल मीडिया जनमत के संबंध में नीति-निर्माताओं की धारणा को विकृत भी करता है।
 - ऐसा इसलिये है क्योंकि भ्रमति रूप से ऐसा माना जाता है कि सोशल मीडिया मंच जीवन के हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन सबकी आवाज़ एकसमान रूप से नहीं सुनी जाती है।
- **राजनीतिक रणनीति:** राजनीतिक दल सोशल मीडिया की मदद से मतदाताओं की पसंद-नापसंद के बारे में सूचनाएँ प्राप्त करने में सक्षम होते हैं और फिर उन्हें भ्रमति कर अपने पक्ष में मोड़ने का प्रयास करते हैं। ‘स्वगि वोटर्स’ पर विशेष रूप से यह दाँव आजमाया जाता है जिनके विचारों को सूचनाओं के हेरफेर से बदला जा सकता है।
 - सोशल मीडिया लोगों की अभिव्यक्ति को प्रबल करते हैं और कई बार किसी के भी द्वारा इसका गलत इस्तेमाल अफ़वाहों और गलत सूचनाओं के प्रसार के लिये किया जा सकता है।
 - सोशल मीडिया ने लोगों को बेहतर सूचना सक्षम तो बनाया है लेकिन उन्हें बहकाना भी आसान बना दिया है।

भ्रामक सूचना बनाम दुष्प्रचार बनाम विकृत सूचना

- प्रायः झूठी खबर या ‘फेक न्यूज़’ में तीन अलग-अलग धारणाएँ शामिल होती हैं: भ्रामकसूचना (Misinformation), दुष्प्रचार (Disinformation) और विकृत सूचना (Mal-information)।
- भ्रामक सूचना झूठी खबर ही होती है, लेकिन कोई व्यक्ति इसे सच मानते हुए ही साझा करता है।
- दुष्प्रचार वह है जो किसी व्यक्ति द्वारा यह जानने के बाद भी किये सच नहीं है, जानबूझकर साझा किया जाता है, यहाँ गुमराह करना ही उद्देश्य होता है।
- विकृत सूचना वह है जो वास्तविकता पर आधारित होती है लेकिन किसी व्यक्ति, संगठन या देश को हानि पहुँचाने की नीयत से प्रसारित की जाती है।

आगे की राह

- **पारदर्शिता को सुगम बनाने हेतु कानून:** वृहत स्तर पर दुष्प्रचार से निपटने के लिये एक सार्थक ढाँचा इस समझ के साथ बनाया जाना चाहिये कि यह एक राजनीतिक समस्या है।
 - अभिव्यक्ति व्यवस्था (Governance of Speech) को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के दायरे में लाने के लिये और सोशल मीडिया के शस्त्रीकरण को नयित्करण करने के लिये पारदर्शिता और वनियमन लाने की आवश्यकता है।
 - कानून में उपयोगकर्ता की गोपनीयता के लिये सुरक्षा उपाय शामिल होने चाहिये क्योंकि ये सोशल मीडिया मंच नागरिकों की नज्जी सूचनाओं का भंडार रखते हैं।
- **मंचों में संरचनात्मक सुधार:** ‘मध्यस्थों’ के रूप में मंचों को प्रदत्त पूर्ण प्रतिरक्षा का अब कोई अर्थ नहीं है क्योंकि ये मंच उपयोगकर्ता कंटेंट के साथ कहीं अधिक हस्तक्षेपवादी हैं।
 - इसलिये, मंच की जवाबदेही को उनके वितरण मॉडल से संबद्ध किया जाना चाहिये।
 - इसके अलावा, सोशल मीडिया मंचों को उपयोगकर्ताओं के लिये एक सूचित विकल्प उपलब्ध कराना चाहिये कि वे किस फ़ीड को सब्सक्राइब करना चाहते हैं या किस फ़ीड से ऑफ्ट-आउट करना चाहते हैं।
- **व्यक्तिगत डेटा के उपयोग पर नयित्करण:** चुनावी अभियानों के संदर्भ में व्यक्तिगत डेटा के उपयोग पर राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप नयित्करण रखा जाना चाहिये।
- **सबके लिये समान अवसर:** लोकतंत्र, अपनी वास्तविक भावना में, सभी दलों के लिये एकसमान अवसर की मांग रखता है और स्वतंत्र एवं नषिपक्ष चुनाव सभी दलों को प्रतिस्पर्धा का समान अवसर प्रदान करते हैं।
 - राजनीतिक उद्देश्यों के लिये सोशल मीडिया के उपयोग पर कठोर मानदंडों की स्थापना करना समय की आवश्यकता है ताकि अल्पमत राजनीतिक अभियानों पर समान ध्यान दिया जा सके।
 - भारत का नरिवाचन आयोग और इसकी आदर्श आचार संहिता यह सुनिश्चित करने का वृहत प्रयास प्रयास करती है कि एक दल को केवल इस आधार पर दूसरे दल की तुलना में अनुचित लाभ प्राप्त न हो, क्योंकि वह सत्ता में है।

अभ्यास प्रश्न: सोशल मीडिया ने भारत में राजनीतिक गतिशीलता को गहनता से प्रभावित किया है। टपिणी कीजिये।